भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 125B/2018–19

नन्दी लायक **बनाम** कमल

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
19.11.18	(आदेश नीचे)	

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1846 दिनांक 14.09.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 125B/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता नन्दो लायक पिता स्व0 कालीपद लायक, ग्राम–हुटुप, थाना–ईचागढ़, जिला–सरायकेला–खरसावां ने चिकित्सा एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता कमल, पिता घनश्याम रजक, ग्राम–मोहितपुर, थाना–सरायकेला जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
दुगनी	199	521	489	0.15एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादी के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने दादी के मृत्यु पश्चात अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 0.15एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.79 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'भुईयाँ' एवं 'धोबी' है, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.15एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।